न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 02/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	**बनाम**	1. श्री मनोहर लाल सिंधी पुत्र गोविन्द राम सिंधी विक्रेता/ भागीदार फर्म – मैसर्स शंकर स्टोर्स, रेलवे स्टेशन रोड, भीलवाडा 2. श्री गिरीशकुमार सिंधी पुत्र गुलाबराय सिंधी भागीदार फर्म – मैसर्स शंकर स्टोर्स, रेलवे स्टेशन रोड, भीलवाडा 3. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक पुत्र हंसराज शिवाजी कोटक (नोमिनी) मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमि. एम–5ए, कनॉट सर्किल, न्यू देहली 110001 4. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमि. एम–5ए, कनॉट सर्किल, न्यू देहली 110001 –विपक्षीगण

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित

2 श्री एस.एन. चण्डक अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 व 02 की ओर से

3 श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक – विपक्षी संख्या 03 व 04 की ओर से

आदेश

दिनांक 30.06.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी मनोहर लाल सिंधी पुत्र गोविन्द राम सिंधी विक्रेता/ भागीदार फर्म

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

Noodles with Taste Maker (Brand Maggi Veg. Atta Noodles) (Proprietary Food) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र होना बताया।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Taste Maker (Brand Maggi Veg. Atta Noodles) (Proprietary Food) के 8 पैकेट पैक्ड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 400/– रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 8 पैक्ड पैकेटों को गवाहों एवं विक्रेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–930 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–930 जो अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मैनेजर के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये । सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 930 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैनें नमूना लेते समय काम मे ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)

प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S. 454/FSSA/2015/340 दिनांक 18.06.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 930 Instant Noodles with Taste Maker (Brand Maggi Veg. Atta Noodles) (Proprietary Food) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट में एफएसएसए 2006 के तहत लिये गये /मैगी नूडल्स के खाद्य नमूनों में हैवी मेटल्स एवं एमएसजी की जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण Instant Noodles with Taste Maker (Brand Maggi Veg. Atta Noodles) (Proprietary Food) के द्वितीय नमूने की पूर्ण जांच हेतु रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद में भिजवाया जाकर जांच करवायी गयी। जिसे रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद ने अपनी जांच रिपोर्ट संख्या 488/मई/16–राज. दिनांक 26.05.2016 के द्वारा जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 930 Instant Noodles with Taste Maker (Brand Maggi Veg. Atta Noodles) (Proprietary Food) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना घोषित किया गया हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी मनोहर लाल सिंधी पुत्र गोविन्द राम सिंधी विक्रेता/ भागीदार फर्म – मैसर्स शंकर स्टोर्स, रेलवे स्टेशन रोड, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड Instant Noodles with Taste Maker (Brand Maggi Veg. Atta Noodles) (Proprietary Food) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि ग्राहक खाद्य के कय के दौरान बाह्य पैक पर अंकित सूचना के आधार पर ही खाद्य कय करता है। साथ ही पैक के अन्दर मौजूद टेस्ट मेकर पृथक रूप से बिक्री हेतु नहीं है और साथ ही उस पर सूचनायें अंकित करने में मुद्रण स्याही खाद्य (नूडल्स) के सीधे सम्पर्क में आ जायेगी, जिससे खाद्य के असुरक्षित होने की आशंका उत्पन्न हो जायेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भी हाल ही में यह उद्घोषणा की है कि खाद्य पदार्थ मुद्रण स्याही के सीधे सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। अतः प्रार्थी को आरोपों से मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जाये अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जाये।

प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद मैगी नूडल्स की निर्मात्री कम्पनी नेस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक हैं एवं सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल/कैशमीमो द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मैगी नूडल्स की जांच FSSAI की एडवाईजरी दिनांक 08.06.2015 के आधार पर की गई जो कि खाद्य नमूना लेने की दिनांक के पश्चात जारी की गई है। एडवाईजरी में दिये गये स्टैण्डर्ड के तहत Caramel Colour नहीं होना चाहिये जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के नियम 3.1.2 अनुसार केरेमल को परमिटेड किया गया है एवं विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2013 को जारी प्रोडक्ट अप्रूवल में भी उक्त खाद्य उत्पाद को परमिटेड किया गया है। Maggi Instant Noodles with Tastemaker एक Proprietary Food – जिसके विनियम 2011 के नियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस तथ्य को साबित नहीं कर पाये हैं कि Maggi Instant Noodles with Tastemaker एक प्रोपराईटरी फूड नहीं है। किसी खाद्य पदार्थ को अमानक घोषित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके मानक निर्धारित किये गये हों। इस प्रकार प्रोपराईटरी फूड जिसका मानक अधिनियम में विहित नहीं है, उसे अवमानक घोषित नहीं किया जा सकता है। Instant Noodles with Tastemaker एक प्रोपराईटरी फूड है जिसमें टेस्टमेकर को पृथक रिटेल उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता है एवं टेस्टमेकर से सम्बन्धित समस्त जानकारी मूल पैकेट पर उपलब्ध है जिसे हटाये बिना टेस्टमेकर पाउच को नहीं निकाला जा सकता है। मामले में खाद्य सुरक्षा अपील

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.1(1). 2.2.2(4), (6) एवं (7) व 2.2.1:3 को किसी प्रकार से उल्लंघन प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.02.2015 में वर्णितानुसार Instant Noodles with Tastemaker के टेस्टेमेकर पाउच पर विवरण अंकित करना अनिवार्य नहीं माना है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी/प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26 एवं 51, 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं साबित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

(न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.))
(न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.))

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. श्री मनोहर लाल सिंधी पुत्र गोविन्द राम सिंधी विकेता/ भागीदार फर्म – मैसर्स शंकर स्टोर्स, रेलवे स्टेशन रोड, भीलवाडा
4. श्री गिरीशकुमार सिंधी पुत्र गुलाबराय सिंधी भागीदार फर्म – मैसर्स शंकर स्टोर्स, रेलवे स्टेशन रोड, भीलवाडा
5. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक पुत्र हंसराज शिवाजी कोटक (नोमिनी) मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमि. एम–5ए, कनॉट सर्किल, न्यू देहली 110001
6. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमि. एम–5ए, कनॉट सर्किल, न्यू देहली 110001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

(न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.))